

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर।

पत्रांक-2673/14-1 रामपुर दिनांक 13 मार्च, 2019

सेवा में,

श्री शील कृष्ण धवन  
वरिष्ठ प्रबन्धक (रिटेल सेल)  
इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि०,  
35-ए, कमला नेहरू मार्ग, उ०प्र०, बरेली

विषय :- रामपुर में टाण्डा-बाजपुर मार्ग किमी०६५ के चैनेज ६४.४६३ की बायीं पटरी पर ग्राम चन्दपुरा सीकम पुर के खसरा संख्या २६७ व २७० पर इण्डियन आयल कारपोरेशन लि० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु ०.०८६०१८ हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित ०८ वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ :- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज की सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या-८बी/यू.पी./०६/१२/२०१९/एफ.सी./६६८ दिनांक ०७.०३.२०१९

महोदय,

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र एफ०एन० संख्या-११-२६८/२०१४ एफसी, दिनांक ११.०७.२०१४ व एफ०एन० संख्या-११-०९/९८-एफसी, दिनांक २१.०८.२०१४ के रामपुर में टाण्डा-बाजपुर मार्ग किमी०६५ के चैनेज ६४.४६३ की बायीं पटरी पर ग्राम चन्दपुरा सीकम पुर के खसरा संख्या २६७ व २७० पर इण्डियन आयल कारपोरेशन लि० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु ०.०८६०१८ हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित ०८ वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज की सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या-८बी/यू.पी./०६/१२/२०१९/एफ.सी./६६८ दिनांक ०७.०३.२०१९ निर्गत शर्तों एवं प्रतिबन्धों की अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रेषित करें-

Obser. No.	Observation	Reply
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वृक्षों के बदले १०० पौधों का वृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित) कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जायेगी।	ई-चालान के माध्यम से रूपये १०७३००.०० (एक लाख सात हजार तीन सौ मात्र) जमा करे।
२ (क)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन (सिविल) २०२/१९९५ के अन्तर्गत आई०ए० संख्या ५६६ एवं भारत सरकार के पत्र संख्या ५-३/२००७-एफ०सी० दिनांक ०५.०२.२००९ के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित धनराशि कैम्प, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।	ई-चालान के माध्यम से रूपये ५३८४८.०० (तरेपन हजार आठ सौ अड़तालिस मात्र.) जमा करे।
ख	इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की आनलाईन ई-रसीद की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण, एन०पी०वी० हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया हो) प्रेषित की जाये, तदुपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा	अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

ग	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र (सक्षम स्तर द्वारा ) प्रस्तुत करेगे कि यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जाम की जायेगी।	अण्डरटेकिंग संलग्न की जाये।
3	विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येकक स्तम्भ के आगे (forward) एव पीछे (backward) उसकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।	अनुपालन किया जाये।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास के बीच की भूमि का उपयोग उर्पयुक्त वृक्ष लगाने एवं उसे संरक्षित करने में किया जायेगा एवं इसका सीमांकन 2 फीट ऊची दीवाल बानकर किया जायेगा।	अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
5	स्थापित पेट्रोल पम्प की चहार दिवारी से 1.50 मीटर की दूरी बनाये रखते हुए परिसर के चारों तरफ कम अच्छादन वाले वृक्षों का रोपण किया जायेगा जिसमें वृक्षों के अन्तर दूरी 1 से 1.50 मीटर रखी जायेगी	अनुपालन सुनिश्चित किया जाये
6	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।	अनुपालन सुनिश्चित किया जाये
7	पेट्रोल पम्प सामान्यत, रेस्ट एरिया,काम्पलेक्स,जिसमें सभी जनसुविधाएँ यथा पार्किंग शौचालय,आदि उपलब्ध हों, का हिस्सा होना चाहिये। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऐसे भवनों के निर्माण की पूर्ण योजना तैयार की जायेगी ताकि सड़क किनारे वृक्षारोपण को न्यूनतम क्षति पहुंच सके।	अनुपालन किया जाये।
8	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।	
9	इस सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन प्रस्तुत करते हुए प्रभागीय वनाधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन के संबंध में सूचना/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे।	
	CA Amount as per proposal	107300.00
	CA Amount Deposite	-
	Difference in amount	-
	Reason for difference	-
	NPV Amount As per Proposal	53848.00
	NPV Amount deposite	-
	Difference in amount	-

Reason for difference	-
Any other amount deposite -(Complete detail be provide)	-
Campa Confirmation	28.12.2018

अतः उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या तुरन्त प्रस्तुत करने सुनिश्चित करें।

(ए०के०कश्यप)  
 प्रभागीय निदेशक,  
 सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर।

पत्रांक-2673 / 14-1

प्रतिलिपि-प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

(ए०के०कश्यप)  
 प्रभागीय निदेशक,  
 सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर।